

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का लाइसेंस रद्द

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिये। इस नरिणय के अनुसार मदरसों में नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।

मुख्य बढि:

- 22 मार्च 2024 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश मदरसा शक्तिषा बोर्ड अधनियिम, 2004** को असंवैधानिक घोषति कर दयिा
 - न्यायालय ने इस अधनियिम को **धर्मनरिपेकषता** के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि **मदरसा शक्तिषा धर्मनरिपेकषता के सिद्धांत के वरिद्ध** है और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहयि कि धार्मिक शक्तिषाओं में भाग लेने वाले छात्रों को औपचारिक शक्तिषा प्रणाली में समायोजति कयिा जाना चाहयि।
 - हालाँकि **सर्वोच्च न्यायालय** ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर **रोक लगा दी**।
- मदरसा लाइसेंस रद्द करना धार्मिक शक्तिषा संस्थानों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
 - इस कदम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शक्तिषा प्रणाली को सुव्यवस्थति करना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम व मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
- उल्लेखनीय है कि **उत्तर प्रदेश में 25,000 से अधिक मदरसे हैं**, जनिमें से लगभग **16,500 मदरसा शक्तिषा बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं**।

उत्तर प्रदेश मदरसा शक्तिषा बोर्ड अधनियिम, 2004

- इस अधनियिम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में **मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों)** के कामकाज को वनियिमति और नरिंत्रति करना है।
- इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लयि एक रूपरेखा प्रदान की।
- इस अधनियिम के तहत, राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लयि **उत्तर प्रदेश मदरसा शक्तिषा बोर्ड** की स्थापना की गई थी।